

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना/
मुख्य अभियंता, चापिडल कम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 25/03/2021

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के विभिन्न कार्य प्रमंडलों को सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ₹. 2825.7718 लाख (₹. अठाईस करोड पच्चीस लाख सतहतर हजार एक सौ अस्सी मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं.-46/20-21 प्र० स्वी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है।

(लाख रु. में)

क्र०	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2020-21 का संशोधित बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य,/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080789120545	6500.00	5714.79	0.00	5714.79
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080789120545	6000.00	1271.78	0.00	1271.78
3.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य,/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796120545	100.00	19.22820	80.7718	100.00
4.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080789120545	100.00	0.00	100.00	100.00
5.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य,/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796130545	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080789130545	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य,/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	11-उडीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796110545	2645.00	0.00	2645.00	2645.00
कुल				15345.00	7005.7982	2825.7718	9831.57
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च, 2020 तक योजना पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्गत आवंटन	योजना पर कुल निर्गत आवंटन			
	1284946.00	654164.42526	9831.57	663995.99526			

वर्तमान आवंटित राशि - ₹ अठाईस करोड पच्चीस लाख सतहतर हजार एक सौ अस्सी मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 में विपत्र कोड 49S470080796110545 के अंतर्गत बजट उपबंध ₹ 2645.00 लाख, द्वितीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप विपत्र कोड 49S470080796120545 अंतर्गत संशोधित बजट उपबंध ₹ 100.00 लाख मात्र के अंतर्गत है।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./कार्य-996/2017-46/20-21, प्र.स्वी./राँची, दिनांक 19.03.2021 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि का अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनु० :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 342 राँची, दिनांक :- 25/03/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक्क.) ज्ञारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौंवा/चाईबासा/चापिडल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त



(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 342

राँची, दिनांक :- 25/03/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशास्त्रा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 349

दिनांक 25/03/2021 का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

माँग संख्या-49—जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष — 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष — 80 सामान्य

लघु शीर्ष — 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष—11—उड़ीसा / पश्चिम बंगाल की शेयर राशि,

विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45—निर्माण कार्य, विप्र कोड — 49S470080796110545

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध 2645.00 लाख (रु. छब्बीस करोड़ ऐतालीस लाख) मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र.०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			अभियुक्ति	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	केन्द्रीय भंडार एवं शिविर, प्रमंडल, चाडिल (SKLIRR020)						0.00	90.00	90.00	93033	
2	लघु वितरणी प्र० सं०-3, मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR011)						0.00	133.00	133.00	93035	
3	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRIRR100)						0.00	125.00	125.00	93039	
4	लघु वितरणी प्र० सं०-12, मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR006)						0.00	64.00	64.00	93044	
5	लघु वितरणी प्र० सं०-5, डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR002)						0.00	200.00	200.00	93049	
6	बराज प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR074)						0.00	350.00	350.00	93050	
7	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला (JSRIRR018)						0.00	130.00	130.00	93053	
8	लघु वितरणी प्र० सं०-10, घाटशिला (JSRIRR022)						0.00	37.20	37.20	93054	
9	सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR104)						0.00	90.50	90.50	93058	
10	लघु वितरणी प्र० सं०-8, जमशेदपुर (JSRIRR010)						0.00	14.42	14.42	93063	
11	आयोजन एवं मोनिटरिंग प्र०, जमशेदपुर (JSRIRR014)						0.00	0.66	0.66	93066	
12	उप निदेशक, क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण, एस.पी.यू., आदित्यपुर, जमशेदपुर (SKLIRR026)						0.00	1.15	1.15	93069	
				योग	0.00	1235.93	1235.93				
				46 / 20-21 प्र० स्वी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)	1284946.00	654164.43					
				सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना							
				चाडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा—गालूडीह कॉम्प्लेक्स							

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)

सचिव

लघु शीर्ष – 796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष –11–उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि,

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य; विपत्र कोड – 49S470080796110545

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध 2645.00 लाख (₹. छब्बीस करोड़ पैतालीस लाख) मात्र।

(राशि ₹. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थीर्कृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटन			अभियुक्ति	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR002)						0.00	70.00	70.00	93075	
14	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह (JSRIRR008)						0.00	40.00	40.00	93087	
15	गालूडीह दायां नहर प्रमंडल सं.-1, मुसाबनी, शिविर गालूडीह (JSRIRR039)						0.00	125.00	125.00	93091	
16	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–4 गालूडीह (JSRIRR072)						0.00	224.13	224.13	93094	
17	खरकई लिंक नहर प्रमंडल मुसाबनी (JSRIRR029)						0.00	130.00	130.00	93096	
18	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर (SKLIRR032)						0.00	600.00	600.00	93100	
19	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल चांडिल (SKLIRR023)						0.00	140.00	140.00	93103	
20	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–2 चांडिल शिविर–डिमना (JSRIRR009)						0.00	5.62	5.62	93109	
21	खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर (SKLIRR016)						0.00	70.00	70.00	93113	
22	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–9 घटशिला (JSRIRR050)						0.00	4.32	4.32	93116	
							योग	0.00	1409.07	1409.07	
							कुल योग	0.00	2645.00	2645.00	
आवंटित राशि – ₹ छब्बीस करोड़ पैतालीस लाख मात्र।											

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

342

25/03/2021

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 349 दिनांक 25/03/2021 का अनुलग्नक

परिशिष्ट-2

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष - 12-ए.आई.वी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796120545

वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध रु. 100.00 लाख मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्त्रीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सुवर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या-2 चांडिल (SKLIRR028)	चांडिल कौन्पलेक्स / इचा-गालूडीह कौन्पलेक्स	सुवर्णरिचा बहुदेशीय परियोजना	46 / 20-21 प्र० स्त्री० वित्तांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)	1284946.00	654164.42526	19.2282	80.7718	100.0000	93118	
योग 19.2282 80.7718 100.0000											

आवंटित राशि - ₹ अस्सी लाख सतहतर हजार एक सौ अस्सी मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 342

दिनांक 25/03/2021

का अनुलग्नक

परिशिष्ट-3

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080789120545

वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध रु. 100.00 लाख मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रबोधन	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लघु वितरणी प्र० सं०-०७, गालूडीह (JSIRR087)	चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स	सुवर्णिया बहुदंदेशीय परियोजना	46 / 20-21 प्र० स्थी० दिनांक 19.03.2021 (Online AA-2182 & 2184 dated. 24.03.2021)	1284946.00	654164.42526	0.00	100.00	100.00	93131	
योग 0.00 100.00 100.00											
आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ मात्र।											

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)

सचिव